विनियामक एवं अन्य उपाय

सितंबर 2012

आरबीआई/2012-13/191 बैंपविवि.सं.एलईजी.
बीसी.38/09.07.005/2012-13, 05 सितम्बर, 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

दृष्टिबाधित/विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 जून 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईंजी.सं.बीसी.91/ 09.07.005/2007-08 देखें जिसके माध्यम से सूचित किया गया था कि तृतीय पक्ष चेक सहित चेक-बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं किसी भेद-भाव के बिना दृष्टि बाधित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से दी जाए, क्योंकि वे विधिक रूप से संविदा करने के लिए सक्षम हैं । साथ ही, कृपया दिनांक 13 अप्रैल 2009 का परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी. सं.बीसी.123/09.07.005/ 2008-09 भी देखें जिसके माध्यम से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे मौजूदा सभी एटीएम/ भविष्य में स्थापित किए जाने वाले एटीएम को चल सीढ़ी सुविधायुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और नये स्थापित किये जाने वाले एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम को ब्रैल की-पैड युक्त एवं बोलनेवाले एटीएम बनायें।

2. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय से हमें यह ज्ञात हुआ है कि दृष्टिबाधित लोगों को इंटरनेट बैंकिंग जैसी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करें और दृष्टिबाधा, क्षीण दृष्टि और अन्य प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें।

आरबीआई/2012-13/192 शबैंवि.बीपीडी
परि.सं.7/13.01.000/2012-13, 6 सितंबर 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

जमाराशियों पर ब्याज दर

कृपया 29 अप्रैल, 1998 का हमारा परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस. पीसीबी. परि. 53/13.01.00/97-98 देखें जिसके द्वारा बैंकों को अपने विवेक से ₹15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की एकल सावधि जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर प्रदान करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई थी कि उन जमाराशियों सहित जिन पर विभेदक ब्याज दर का भुगतान किया जाता है, जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची पहले से प्रकट की जाए तथा जमाकर्ता और बैंक के बीच ब्याज को लेकर कोई सौदेबाजी न हो।

2. इस संबंध में, दिनांक 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 के जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर से संबन्धित पैरा 84 एवं 85 (संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह देखा गया है कि ₹15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की एकल जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात ₹15 लाख रुपये से कम की) जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में काफी भिन्नताएँ हैं। साथ ही, बैंक उन जमाराशियों पर भी काफी अलग अलग ब्याज दर दे रहे हैं जिनकी परिपक्वता अवधि में बहुत कम अंतर है, इससे चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और कीमत निर्धारण प्रक्रिया में कमी का पता चलता है। अतः, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे देयताओं की कीमतें निर्धारित करने के संबंध में बोर्ड द्वारा मंजूर की गई एक पारदर्शी नीति लागू करें। बोर्ड/एएलसीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ₹15 लाख रुपये एवं उससे अधिक की एकल सावधि जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात ₹15 लाख रुपये से कम) सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में न्यूनतम अंतर है।

आरबीआई/2012-13/199 बैंपविवि.बीपी.
बीसी.सं.40/21.04.172/2012-13, 11 सितंबर 2012
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

फैक्टरिंग कंपनियों के लिए बैंक वित्त

कृपया फैक्टरिंग कंपनियों के लिए बैंक वित्त पर दिनांक 12 फरवरी 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.बीपी. बीसी.सं.60/08.12.02/2007-08 देखें जिसके अनुसार बैंक कतिपय मानदण्डों का अनुपालन करने वाली फैक्टरिंग कंपनियों के फैक्टरिंग कारोबार को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

2. उक्त परिपत्र के जारी होने के बाद फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011, जो फैक्टरिंग कंपनियों को विनियमित करने के साथ-साथ 'फैक्टर, फैक्टरिंग कारोबार, प्रधान कारोबार (प्रिन्सिपल बिजनेस), असाईनमेंट' इत्यादि शब्दों को परिभाषित भी करता है, लागू हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक को परिसंपत्तियों और सकल आय के अनुसार 'प्रधान कारोबार' के लिए शर्तें निर्धारित करने की शक्ति और फैक्टरों को निदेश देने व उनसे सूचना एकत्र करने की शक्ति भी इस अधिनियम ने प्रदान की है।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की एक नई श्रेणी, अर्थात् 'गैर- बैंकिंग वित्त कंपनी - फैक्टर्स' आरम्भ की है और इस संबंध में दिनांक 23 जुलाई 2012 की एक अधिसूचना डीएनबीएस.पीडी.सं.247/सीजीएम (यूएस) - 2012 जारी की है। उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 6(i) में ऐसी एनबीएफसी के 'प्रधान कारोबार' को निर्धारित किया गया है और कहा गया है कि ''एनबीएफसी फैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि फैक्टरिंग कारोबार में उसकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ उसकी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत है और फैक्टरिंग कारोबार से उत्पन्न हुई उसकी आय उसकी सकल आय के 75 प्रतिशत से कम नहीं है।''

4. उक्त के मद्देनजर, बैंक वित्त के लिए पात्र फैक्टरिंग कंपनियों की परिसंपत्तियों और आय से संबन्धित मानदण्डों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, बैंक अब से निम्नलिखित मानदण्डों का पालन करने वाली फैक्टरिंग कंपनियों के फैक्टरिंग कारोबार को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं:

(क) ऐसी कंपनियां जो फैक्टरिंग कंपनियाँ कहलाने की पात्र हैं और अपना कारोबार फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 तथा इस संबंध में समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत करती हैं।

(ख) वे अपनी आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश फैक्टरिंग क्रिया-कलापों से प्राप्त करती हैं।

(ग) खरीदी हुई/वित्त प्रदान की हुई प्राप्य राशियाँ चाहे 'रिकोर्स के साथ' या 'रिकोर्स के बिना' आधार पर हों, फैक्टरिंग कंपनी की परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत भाग हैं।

(घ) उक्त उल्लिखित परिसंपत्तियों/आय में फैक्टरिंग कंपनी द्वारा दी जा रही बिल भुनाने की किसी सुविधा से संबंधित आस्तियाँ/आय शामिल नहीं होंगी।

(ङ) फैक्टरिंग कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता दृष्टिबंधक द्वारा या अपने पक्ष में प्राप्य राशियों के असाइनमेंट द्वारा सुरक्षित की जाती हैं।

आरबीआई/2012-13/208 बैंपविवि सं.बीपी.
बीसी/42/21.04.048/2012-13, 14 सितंबर 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

अनर्जक आस्ति (एनपीए) प्रबंधन - एक प्रभावी कार्यप्रणाली एवं सघन आँकड़ों की आवश्यकता

कृपया दिनांक 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 का पैराग्राफ 100 देखें।

2. जैसा कि वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता उनकी वित्तीय सुदृढ़ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। तथापि, यह पाया गया है कि आस्ति गुणवत्ता की शीघ्र चेतावनी देने वाली प्रणालियों से संबंधित मौजूदा प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सुधार की आवश्यकता है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं एमआईएस फ्रेमवर्क की समीक्षा करनी चाहिए तथा अलग अलग खाते के स्तर पर एवं सेगमेंट (आस्ति श्रेणी, उद्योग, भौगोलिक आकार आदि) स्तर पर संकट के लक्षणों को आरंभ में ही पकड़ने के लिए एक मजबूत प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करनी चाहिए। ऐसे शीघ्र-चेतावनी देने वाले संकेतकों को एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिसमें उस समय लागू विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत दबावग्रस्त अर्थक्षम खातों के लिए पारदर्शी पुनर्रचना प्रणाली शामिल है, ताकि सभी सेगमेंट में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को बचाए रखा जा सके।

3. बैंक की आईटी तथा एमआईएस प्रणाली मजबूत और सक्षम होनी चाहिए जो प्रभावी निर्णय लेने हेतु बैंक की आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने में समर्थ हो। विनियामक/सांविधिक रिपोर्टिंग तथा बैंक की अपनी एमआईएस रिपोर्टिंग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में परस्पर कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्रचित आस्तियों के संबंध में प्रणाली से उत्पन्न सेगमेंट-वार सूचना रखें जिनमें प्रारंभिक शेष, परिवर्धन, कटौतियां (उन्नयन,

वास्तविक वसूली, राईट-ऑफ आदि), अंतिम शेष, धारित प्रावधान, तकनीकी राईट-ऑफ इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

भारिबैं/2012-13 / 214 ग्राआऋवि.सं.एसएमइ एण्ड एनएफएस.
बीसी. सं. 30/ 06.11.01 /2012-13, 18 सितंबर 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

₹15 लाख तक के आवास ऋणों के लिए 1 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन की योजना

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 4 नवंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमइ एण्ड एनएफएस. बीसी.29/06.11.01/2011-12 देखें। इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि :

क. ब्याज सबवेंशन की योजना को अब वित्तीय वर्ष 2011-12 से ₹15 लाख तक के उन आवास ऋणों पर लागू करते हुए उदार बनाया गया है जिसमें मकान की लागत ₹25 लाख से अधिक न हो। भारत सरकार ने इस बीच उक्त योजना की अवधि बढा दी है और यह 31 मार्च 2013 तक लागू बनी रहेगी।

ख. भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए उक्त योजना के अंतर्गत ₹400.00 का बजट प्रावधान किया है।

ग. राष्ट्रीय आवास बैंक उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी है।

घ. सभी एससीबी को सूचित किया जाता है कि वे उक्त योजना को कड़ाई से कार्यान्वित करें, एनएचबी के पास अपने दावे शीघ्र प्रस्तुत करें और सभी पात्र उधारकर्ताओं/लाभार्थियों को योजना के लाभ प्रदान करें। एससीबी से यह भी अनुरोध है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

आरबीआई/2012-13/221एफएमडी.एमएसआरजी.
सं.71/02.02.001/2012-13, 25 सितंबर 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)

ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक में कोर-बैंकिंग सोल्यूशन को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोर-बैंकिंग सोल्यूशन के लागू होने के साथ ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) उपलब्ध नहीं रहेगा।

2. इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि सभी ओटीसी कॉल/नोटिस/टर्म मनी लेनदेन जिन्हें इस समय एनडीएस पर रिपोर्ट किया जा रहा है उन्हें एनडीएस-कॉल की सदस्यता रखनेवाले पक्षों द्वारा एनडीएस-कॉल के रिपोर्टिंग प्लैटफार्म पर 1 नवंबर 2012 से रिपोर्ट किया जाएगा। जिन पक्षों के पास एनडीएस-कॉल की सदस्यता नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे किये गये लेनदेन एफएमडी को ई-मेल या फैक्स (022-22630981) द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2012 को जारी किये गये कॉल/नोटिस मनी मास्टर सर्कुलर के अनुबंध-2 में दिये गये फार्मेट में रिपोर्ट करें।

आरबीआई/2012-13/224 शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी)
परि.सं. 12/09.16.900/2012-13 26 सितंबर 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय पुनर्गठन

कृपया 23 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी. परि सं. 39/ 09.16.900/2008-09 देखें, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक समस्याग्रस्त बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन प्रस्तावों को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विचार करेगा। इस प्रकार के प्रस्तावों पर किन शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा यह उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3 में दिया गया हैं।

2. मामले की समीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि परिपत्र के पैरा 3(v) में आंशिक संशोधन के साथ, अब से भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का इक्विटी /आइपीडीआई में रूपांतरण सहित, प्रस्तुत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करेगा, यदि इस प्रकार के जमाराशि रूपांतरण के बाद भी बैंक का नेटवर्थ

सकारात्मक नहीं हुआ हैं, बशर्ते जमाकर्ता इस प्रकार के रूपांतरण के लिए स्वैच्छिक रूप से राजी हो।

3. 23 जनवरी 2009 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य सभी मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं हैं।

आरबीआई/2012-13/226 शबैंवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी)
परि.सं. 13/ 14.01.062/2012-13 27 सितंबर 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

फिन-नेट (एफ़आइएन-एनईटी)गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना

कृपया 9 नवंबर 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी सं. 10/ 12.05.001/2011-12 देखें, जिसमें प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को वित्तीय आसूचना एकक-भारत को धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली 2005 के अंतर्गत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए फिन-नेट योजना के अंतर्गत सिंगल एक्सएमएल रिपोर्टिंग की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा सूचित किए जाने पर नए फार्मेट को लागू करने के लिए क्षमता विकसित करें और तैयार रहें।

2. वित्तीय आसूचना एकक- भारत ने अब अपने दिनांक 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ. सं. 9-29/2011-एफआइयू-आइएनडी द्वारा सूचित किया है कि सभी बैंकों को रिपोर्ट को इलेक्ट्रानिक पद्धति से अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। वित्तीय आसूचना एकक- भारत द्वारा बैंकों को परियोजना के 'गो-लाइव' होने के बारे में सूचित करने तक 'टेस्ट मोड' में इस प्रकार प्रस्तुति जारी रहेगी। रिपोर्ट करनेवाली संस्थाएं, किसी भी स्पष्टिकरण या सहायता के लिए एफआईयू हेल्प डेस्क से इमेल helpdesk@fiuindia.gov.in या टेलीफोन नंबर 011-24109792/93 पर संपर्क कर सकते है। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार सीडी में मौजूदा रिपोर्टें प्रस्तुत करना जारी रखें।

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक- भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें।

आरबीआई/2012-13/229 बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 48/12.02.001/2012-13, 28 सितंबर 2012

स्थानीय क्षेत्र बैंक- सांविधिक चलनिधि अनुपात कम करना

बैंककारी विनियमन अधिनयम 1949 की धारा 24-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - स्थानीय क्षेत्र बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 नवंबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 62/12.02.001/2009-10 देखें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि 11 अगस्त 2012 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत कर दिया जाए।